प्रेषक,

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, अल्मोड़ा।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा,उत्तराखण्ड,
देहरादून।

पत्रांक 1146 /प्रा0शि0/4(2)10/नियुक्ति/2022–23 दिनांक 30 अप्रैल 2022

विषय **6th प्रतीक्षा सूची के अन्तर्गत अवशेष 03 अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने विषयक।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक दिनांक 25 अप्रैल 2022 को नियुक्ति हेतु आयोजित काउन्सलिंग के अन्तर्गत चयनित 03 अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र इस निवेदन के साथ आपकी सेवा में संलग्न किये जा रहें है कि कृपया नियुक्ति पत्रों को विभागीय पोर्टल WWW.SchoolEducation.gov.in में अपलोड करने का कष्ट करें।

सलग्न उक्तवत।

भवदीय,

(सत्य नारायण)
जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा,अल्मोड़ा।
30/04/22

Scanned with CamScanner

कार्यालय— जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, अल्मोड़ा

आदेश संख्या 53 /प्रा0शि0/4(2)10/ नियुक्ति स0अ0/2022—23 दिनांक अप्रैल 2022

:: नियुक्ति आदेश ::

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012 यथा संशोधित मे निहित प्राविधानो एवं निदेशक प्रारिम्भक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या प्रारम्भिक शिक्षा —दो(02)/419 (II) / 2020/ 6118.21/ 2021.22 दिनांक 14.09.2021 एंव पत्रांक प्रा0शि0—दो(02)/419(II)/ 2020/ 7445.46 / 2021.22 दिनांक 07 अक्टूबर 2021 के अनुपालन में संबधित के सम्मुख अंकित स्तम्भ 08 में अंकित विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर वेतन मैट्रिक्स 35400—112400 (लेवल—6) में नितान्त अस्थाई रूप से दो वर्ष के परिवीक्षा काल पर नियुक्ति प्रदान की जाती है यह नियुक्ति नितान्त अस्थाई है जो किसी भी समय 01 माह पूर्व का नोटिस अथवा 01 माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति मा0उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित रिट यचिका संख्या 903 / 2019 एवं रिट याचिका संख्या 350/एस0एस0/2021 मे पारित अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी। नव नियुक्त शिक्षको को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नही होगा। नव नियुक्त शिक्षक को उनके आवंटित विद्यालय में 07 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। यह नियुक्ति शासनादेश संख्या 21/XXVII(07)/ अ0पै0यो0/2005 दिनांक 25.10.2005 से आच्छादित होगी, अर्थात राजकीय सेवाओं में नयी परिभाषित पेंशन योजना अनिवार्य रूप से लागू होगी।

क्र0 सं0	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	जाति	क्षैतिज आरक्षण	नियुक्ति का विषय	नियुक्त रा0प्रा0विद्यालय का नाम	विकासखण्ड
1	विरेन्द्र सिह रावत	बी0एस0 रावत	02.01.1985	अ0ज0जा0	—	जीव विज्ञान	वेतनधार	स्याल्दे
2	दीपा देवी	रामानन्द	03.01.1984	आ0रूप से कमजोर	उ0 महि0	अंग्रेजी	वमनचौना	भिकियासैण
3	अनिता	सेहन सिह	20.07.1986	अनु0जाति	उ0 महि0	जीव विज्ञान	बिलौरी बोरारौ	ताकुला

01. कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अपने समस्त शैक्षिक/ प्रशिक्षण योग्यता एंव अन्य प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां एवं पासपोर्ट साइज के फोटोग्रांफ (एक कागज में चस्पा कर दिनांक सहित अभिप्रमाणित की गयी हो) तीन पत्रावलियों में सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करेंगें और मूल अभिलेखों से मिलान भी करवायेंगें।
02. समस्त अभ्यर्थी अन्तिम शैक्षिक/प्रशिक्षण संस्थान एवम अन्य 02 संभ्रान्त व्यक्ति जिसमें से कम से कम एक राजपत्रित अधिकारी हो से प्राप्त चरित्र प्रमाण पत्र जो छः माह से अधिक पुराना न हो भी प्रस्तुत करेंगें।
03. आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करेंगें।
04. अभ्यर्थी मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिक्षक से स्वस्थता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्राप्त कर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगें।
05. विवाहित होने की स्थिति मे एक पति अथवा पत्नी होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
06. भूतपूर्व सैनिक कोटे से चयनित अभ्यर्थी इस आशय का स्वघोषणा पत्र प्रस्तुत करेगे कि इस नियुक्ति से पूर्व किसी अन्य नियुक्ति में भूतपूर्व सैनिक कोटे का लाभ नही लिया गया है।
07. बी0एड0 प्रशिक्षित उत्तीर्ण अभ्यर्थीयों का प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन0सी0टी0ई0 द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 06 महिने का एक सेतु पाठ्यकम (ब्रिज कोर्स)आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। निर्धारित अर्हतायें पूर्ण न करने की दशा में सेवायें समाप्त कर दी जायेगी।
08. उपरोक्त शर्तो के पूर्ण करने में असफल रहने पर अभ्यर्थी की नियुक्ति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।

30/4/2022

(सत्य नारायण)
जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, अल्मोड़ा।

Scanned with CamScanner

पृष्ठांकन संख्या 1147-56/प्रा0शि0/4(2)10/ नियुक्ति स0अ0/2022–23 तद्दिनाकिंत
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।

2–अपर शिक्षा निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमॅाऊ मण्डल नैनीताल।

3– प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अल्मोड़ा।

4–वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा , अल्मोड़ा।

5–कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी संबधित कोषागार।

6–उप शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, सम्बधित विकासखण्ड, जनपद अल्मोड़ा।

7–प्रधानाध्यापक सम्बन्धित विद्यालय को इस आशय से प्रेषित कि विद्यालय में नियुक्त अभ्यर्थी को विकासखण्ड से संबधित के मूल शैक्षिक/प्रशिक्षण एवं अन्य प्रमाण पत्रों की जांच के पश्चात ही कार्यभार ग्रहण करायेगे।

8–सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय के साथ प्रेषित कि संबधित विकासखण्ड के उपशिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा कार्यालय से अपने समस्त शैक्षिक /प्रशिक्षण एवं अन्य प्रमाण पत्रों की मूल अभिलेखों से जांच कराने के उपरान्त ही विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करेगे। निर्धारित अवधि के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उक्त नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर अन्य जनपदों में कार्यभार ग्रहण न किये जाने का शपथ पत्र प्रस्तुत करेगे।

9–कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

30/4/2022

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, अल्मोड़ा।

Scanned with CamScanner